Scholarships to Afro-Asian Students

1678. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the desirability of stopping the scholarships of Afro-Asian students belonging to countries like Turkey, Iran, Jordan and Indonesia which have given proof of their unfriendliness towards India during the Indo-Pak war; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में शिक्षा योजनायें

1679. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल ।

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, राज्य में शिक्षा योजनाओं के विस्तार के लिए चौथी योजना के लिए किये गये आवंटन में से पेशगी के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० छागला): (क) और (ख). राज्य की चौथी पंच वर्षीय आयोजना की कुछ योजनाओं पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश को 49.24 लाख रुपये नियत किये गये हैं। किन्तु, यह रकम राज्य की पूरी चौथी आयोजना के लिए नियत रकम से अलग नहीं है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

1680. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में कुल कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हैं और उनमें से कितने अपने अपने पदों पर स्थायी बनाये जा चुके हैं; और

(ख) शेष कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). इस समय निदेशालय और आयोग में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: 182 और 208 है और ये सभी अस्थाई हैं। दोनों कार्यालयों के अस्थाई पदों को स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अस्थाई पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्थाई करने के प्रश्न पर, पदों के स्थाई हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

मंत्रालयों में अनुवाद कार्य

1681. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मंत्री 15 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा हिन्दी में भेजे गये पत्रों का अनुवाद करने की विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस बीच समुचित व्यवस्था की जा चुकी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के किन मंत्रालयों/विभागों ने हिन्दी में टिप्पणी लिखने की छूट नहीं दी है; और

(ग) इस बाधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) दिसम्बर, 1964 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह फैसला हुआ था कि एक ऐसी प्रथा अपनाई जाय जिससे राज्य सरकारों से प्राप्त मूल पत्र यदि हिन्दी में हों तो वे उसके साथ एक प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ भी भेजें । जब भी बिना अंग्रेजी अनुवाद के हिन्दी पत्र प्राप्त होते हैं, तो मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी जानने वाले या हिन्दी में प्रशिक्षित वर्तमान कर्मचारियों का उपयोग हिन्दी अनुवाद के काम के लिए किया जाता है और इस काम के लिए अलग से एक अनुवाद एकक की अभी तक आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है ।

(ख) मार्च, 1961 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश दिये गये थे कि सचिवालय के जिन अनुभागों के अधिकतर कर्मचारी मामूली हिन्दी जानते हों वहां फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की इजाजत दे दी जाय। किसी मंत्रालय/विभाग ने फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की छूट न दी हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ।

(ग) संघ के सरकारी कामों में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के लिए विभिन्न प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

1682. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में 'रिसर्च असिस्टेंट" का एक भी पद अब तक स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों और उन पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) कार्यवाही के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) निदेशालय तथा आयोग के अस्थाई पदों को, जिनमें अनुसंधान सहायकों के पद भी शामिल हैं स्थाई पदों में बदलने का प्रश्न विचाराधीन है । अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर, पदों के स्थायी हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

(ग) मामले में अभी कुछ समय लगेगा ।

Suburban Civil Force in Delhi

1683. **Shri Ram Harkh Yadav:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Suburban Civil Force in Delhi for its protection;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any units thereof have already been constituted?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Anti-national activities of certain Journalists

1684. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a representation has been made to him by some Members of Parliament against the anti-national activities of certain